उत्तर प्रदेश राज्य

बनाम

जलाल उद्दीन और अन्य

5 अक्टूबर, 2004

[अरिजीत पासायत और सी. के. ठाकर, जे. जे.]

सेवा कानूनः

उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा (समूह ए) सेवा नियम, 1985/उत्तर प्रदेश पदोन्नति नियम, 1994 द्वारा भर्ती के लिए सरकारी कर्मचारियों के मानदंडः आर.16/आर.आर. 2 और 4 - सरकारी डिग्री कॉलेज के प्राचार्य-पदोन्नति-मानदंड-उच्च न्यायालय ने 1985 के नियमों के आधार पर पदोन्नति का निर्देश दिया-राज्य सरकार की याचिका कि 1985 के नियम अब लागू नहीं थे और इसके बजाय, 1994 के नियम थे- कहा-उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका पर नए सिरे से सुनवाई करने और मामले के तथ्यों पर 1994 के नियमों की प्रयोज्यता और प्रभाव पर विचार करने के लिए आयोजित किया गया।

उत्तरदाता नं. 1 ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर कर राज्य सरकार को यू. पी. उच्च शिक्षा (समूह-ए) सेवा नियम, 1985 के नियम 16 द्वारा परिकल्पित वरिष्ठता के आधार पर उन्हें

सरकारी डिग्री कॉलेज के प्राचार्य के रूप में पदोन्नत करने का निर्देश देने की मांग की। रिट याचिका को अनुमति दी गई।

राज्य सरकार द्वारा दायर अपील में यह तर्क दिया गया था कि उच्च न्यायालय ने पदोन्नति नियम, 1994 द्वारा भर्ती के लिए यू. पी. सरकारी कर्मचारियों के मानदंड की अनदेखी करने और 1985 के नियमों को लागू करने में गलती की, जो अब लागू नहीं थे।

अपील की अनुमति देते हुए और मामले को उच्च न्यायालय को वापस भेजते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में, पदोन्नति नियमों द्वारा भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों के मानदंड, 1994 और 1996 में किए गए संशोधन का स्पष्ट संदर्भ दिया गया था, हालांकि उच्च न्यायालय ने जवाबी हलफनामे के कुछ पैराग्राफ का उल्लेख किया, लेकिन उसने 1994 के नियमों और विवाद पर इसके प्रभाव पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए, उचित मार्ग यह होगा कि उच्च न्यायालय को रिट याचिका पर नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दिया जाए। वर्तमान मामले के तथ्यों पर 1994 के नियमों की प्रयोज्यता और प्रभाव पर उच्च न्यायालय द्वारा उचित परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाएगा। (95-ई, एफ)

एन. के. अग्रवाल बनाम काशी ग्रामीण बैंक, वाराणसी (2003) 2 यूपीएलबीईसी 1333; संत राम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, ए. आई. आर. (1967) एस. सी. 1910 मैसूर राज्य और ए. आई. आर. बनाम सैयद महमूद और अन्य, ए. आई. आर. (1968) एस. सी. 1113 और के सामंतराय बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी। लिमिटेड, ए. आई. आर. (2003) एस. सी. 4422, संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 6511/2004

2001 के सीएमडबल्यूए संख्या 6910 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांकित 4.12.2003 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी की ओर से दिनेश द्विवेदी, रणवीर सिंह और सुश्री निरंजना सिंह।

उत्तरदाताओं के लिए राज कुमार गुप्ता और ए. एन. बरदियार।

न्यायालय का निर्णय अरिजीत पसायात, जे. द्वारा दिया गया।

अनुमति दी गई।

उत्तर प्रदेश राज्य इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा दिए गए फैसले की वैधता पर सवाल उठाता है। रिट याचिका वर्तमान प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इस प्रार्थना के साथ दायर की गई थी कि उन्हें सरकारी डिग्री कॉलेज के प्राचार्य के रूप में पदोन्नत किया जाना

चाहिए। शिकायत की गई कि हालांकि उनके कनिष्ठों को पदोन्नत किया गया है लेकिन उन्हें पदोन्नत नहीं किया गया है। एन. के. अग्रवाल बनाम काशी ग्रामीण बैंक, वाराणसी, (2003) 2 यू. पी. एल. बी. ई. सी. 1333, में उच्च न्यायालय के पहले के फैसले पर भरोसा करते हुए रिट याचिका को मंजूरी दी गई। निर्देश दिया गया कि वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 1 को सरकारी डिग्री कॉलेज के प्राचार्य के रूप में पदोन्नत किया जाना चाहिए, जिस तारीख को उनके कनिष्ठों को पदोन्नत किया गया था, उस तारीख से उनकी वरिष्ठता तय की जानी थी और उन्हें दो महीने के भीतर बकाया राशि दी जाएगी। उच्च न्यायालय के अनुसार, पदोन्नति के मानदंड यू. पी. उच्च शिक्षा (समूह ए) सेवा नियम, 1985 के नियम 16 में दिए गए हैं। उक्त नियमों के अनुसार, नियम 16 (1) (बी) के संदर्भ में अयोग्य की अस्वीकृति के अधीन वरिष्ठता मानदंड था।

अपील के समर्थन में, अपीलकर्ता-राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने पूरी तरह से प्रासंगिक नियमों की अनदेखी की और अपने फैसले को एक ऐसे नियम पर आधारित किया जो अब लागू नहीं था। समय-समय पर परिवर्तित/संशोधित पदोन्नति नियम, 1994 (संक्षेप में '1994 नियम') द्वारा भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी मानदंड को देखते हुए 1985 के नियम निष्क्रिय हो गए थे। उक्त नियम भारत के संविधान, 1950 (संक्षेप में 'संविधान') के अनुच्छेद 309

के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं। नियम 2 में यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत या अन्यथा सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी अन्य नियमों पर नियमों का प्रभाव अधिक था। यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि ऊपर उल्लिखित किसी भी अन्य नियम में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद नियम प्रभावी होंगे। उच्च न्यायालय 1985 के नियमों के आधार पर मामले का फैसला करने के लिए आगे बढ़ा, जो करने की अनुमति नहीं थी।

जवाब में, प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि 1994 के नियमों के तहत भी प्रत्यर्थी पदोन्नत होने का हकदार था और भले ही विशेष रूप से 1994 के नियमों का उल्लेख नहीं किया गया हो, लेकिन रिट याचिका पर निर्णय लेते समय इसे ध्यान में रखा गया था। वरिष्ठता-सह-योग्यता और योग्यता-सह-वरिष्ठता विचार के बीच का अंतर बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है और इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

सभी सेवाओं में, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, हमेशा पदों का एक पदानुक्रम होता है जिसमें उच्च पद और निचले पद शामिल होते हैं। पदोन्नति, जैसा कि सेवा कानून न्यायशास्त्र के तहत समझा जाता है, रैंक, ग्रेड या दोनों में उन्नति है और किसी भी कर्मचारी को पदोन्नत होने का

अधिकार नहीं है, लेकिन उसे पदोन्नति के लिए विचार करने का अधिकार है। संत राम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, ए. आई. आर (1967) एस. सी. 1910 में निम्नलिखित टिप्पणियां महत्वपूर्ण हैंः

"उचित पदोन्नति नीति का प्रश्न विभिन्न परस्पर विरोधी कारकों पर निर्भर करता है। यह स्पष्ट है कि एकमात्र तरीका जिसमें पूर्ण निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सकती है, वह है सभी पदोन्नति पूरी तरह से वरिष्ठता के आधार पर की जानी चाहिए। इसका मतलब है कि यदि कोई पद खाली हो जाता है तो उसे उस व्यक्ति द्वारा भरा जाता है जिसने तुरंत नीचे दिए गए पद पर सबसे लंबे समय तक सेवा की है। लेकिन वरिष्ठता प्रणाली के साथ समस्या यह है कि यह इतना उद्देश्यपूर्ण है कि यह व्यक्तिगत योग्यता को ध्यान में रखने में विफल रहता है। एक प्रणाली के रूप में यह सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों को छोड़कर प्रत्येक अधिकारी के लिए उचित है; एक अधिकारी के पास जीतने या हारने के लिए कुछ भी नहीं है बशर्ते वह वास्तव में इतना अक्षम न हो कि उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। लेकिन, हालांकि यह प्रणाली संबंधित अधिकारियों के लिए निष्पक्ष है, यह जनता पर भारी बोझ है और सार्वजनिक व्यवसाय के कुशल संचालन पर एक बड़ा दबाव है। इसलिए समस्या यह है कि सभी अधिकारियों को पदोन्नति की उचित संभावना कैसे सुनिश्चित की जाए और साथ ही सबसे सक्षम व्यक्ति द्वारा पदों को भरने में सार्वजनिक हित की

रक्षा कैसे की जाए? दूसरे शब्दों में, सवाल यह है कि उचित पदोन्नति-नीति में वरिष्ठता और योग्यता के बीच सही संतुलन कैसे पाया जाए।

वरिष्ठता-सह-योग्यता और योग्यता-सह-वरिष्ठता के सिद्धांत वैचारिक रूप से अलग हैं। पूर्व के लिए, वरिष्ठता पर अधिक जोर दिया जाता है, हालांकि यह निर्धारक कारक नहीं है, जबकि बाद में योग्यता निर्धारक कारक है। मैसूर राज्य और अन्य बनाम सैयद महमूद और अन्य, ए. आई. आर. (1968) एस. सी. 1113 में, यह देखा गया कि मैसूर राज्य सिविल सेवा (सामान्य भर्ती) नियम, 1957 के नियम 4 (3) (बी) की पृष्ठभूमि में, जिसमें वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर चयन द्वारा पदोन्नति की आवश्यकता थी, कि नियम के अनुसार "पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों में से पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उम्मीदवार की योग्यता के अधीन वरिष्ठता" के आधार पर चयन द्वारा पदोन्नति की आवश्यकता होती है। यह इंगित किया गया कि जहां पदोन्नति वरिष्ठता-सह-योग्यता पर आधारित है, वहां अधिकारी केवल अपनी वरिष्ठता के आधार पर अधिकार के रूप में पदोन्नति का दावा नहीं कर सकता है और यदि वह उच्च पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अयोग्य पाया जाता है, तो उसे पारित किया जा सकता है और उसके कनिष्ठ अधिकारी को पदोन्नत किया जा सकता है। लेकिन पदोन्नति दी जानी है या नहीं, यह तय करने के लिए ये एकमात्र तरीके नहीं हैं।

इन पहलुओं पर के. सामंताराय बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड, एआईआर (2003) एससी 4422 में प्रकाश डाला गया था।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि राज्य द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में 1994 के नियमों और 1996 में किए गए संशोधन का स्पष्ट संदर्भ दिया गया था। हालांकि उच्च न्यायालय ने जवाबी हलफनामे के कुछ पैराग्राफ का उल्लेख किया, लेकिन उसने 1994 के नियमों और विवाद पर इसके प्रभाव पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए हमारा विचार है कि जब प्रासंगिक नियमों को ध्यान में नहीं रखा गया है तो उचित मार्ग यह होगा कि उच्च न्यायालय को रिट याचिका पर नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दिया जाए। वर्तमान मामले के तथ्यों पर 1994 के नियमों की प्रयोज्यता और प्रभाव पर उच्च न्यायालय द्वारा उचित परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाएगा। हम स्पष्ट करते हैं कि हमने इस संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं की है। अपील की अनुमति उपरोक्त सीमा तक दी जाती है जिसमें लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होता है।

आर. पी.

अपील को अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।